भारत सरकार
प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय,
9वीं मंजिल, 'डी ब्लॉक, आयकर शिखर,
ए.सी.गार्ड्स, हैदराबाद-500004
टेलिफैक्स: 040-23425467

GOVERNMENT OF INDIA
Office of the
Principal Chief Commissioner of Income Tax, 9th Floor, 'D' Block, IT Towers,
AC Guards, Hyderabad-500004,
Telefax: 040-23425467

फा.सं.प्र.मु.आ.आ./हैद./राभा/9//प्रो.यो(वार्षिक)/2023-24 दिनांक : 28 .12.2023.

सेवा में,
सभी कार्यालय प्रमुख/ All Heads of Office
आन्ध्र प्रदेश व तेलंगाना क्षेत्र / AP & TS Region

महोदय/ महोदया
Sir/ Madam,

विषय:- सरकारी कामकाज (टिप्पण/ आलेखन) मूल रूप से हिंदी में करने तथा अधिकारियों द्वारा हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहन योजना 2023-24 प्रदान किये जाने के संबंध में ।

Sub:- Incentive Scheme for doing official work (noting/drafting) originally in Hindi and giving dictation in Hindi by the officers during the year 2023-24 – reg.

संदर्भ:- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र संख्या 109/राजभाषा/2023-24/2534-89 दिनांक 08.12.2023.

Ref:- letter received from CBDT, New Delhi vide their letter No. 109/राजभाषा/2023-24/2534-89 dated 08.1.2.2023.

***

महोदया/ महोदय
Madam /Sir,

कृपया उपर्युक्त विषय का संदर्भ लें। / Kindly refer to the above subject.

उक्त पत्र के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान मूल रूप से हिंदी में कार्य करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए तथा हिंदी में डिक्टेशन दिये जाने वाले अधिकारियों के लिए प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान है । इस हेतु मूल रूप से हिंदी में टिप्पण व आलेखन, रजिस्टर में हिंदी प्रविष्टियाँ, हिंदी सूची तैयार करना, हिंदी में लेखा कार्य आदि किया जाना अनिवार्य है ।

इस संबंधी विवरण संलग्न प्रपत्र में भरकर **30 अप्रैल, 2024** तक या उससे पहले कार्यालय प्र.मु.आ.आ., हैदराबाद के हिंदी अनुभाग को भिजवाना सुनिश्चित करें ।

As per the above letter, there is a provision for the Officers and staff, who are originally doing their official work in Hindi and also the officers who gave their dictation in Hindi, will be awarded with the cash prizes for the financial year 2023-24. For this it is mandatory to write Noting and Drafting in Hindi, Hindi entries made in the register, preparation of list in Hindi, accounts work in Hindi etc

Kindly ensure to send the relevant details to the O/o the Pr.CCIT, Hyderabad on or before 30th April, 2024 in the enclosed proforma –

हिंदी में टिप्पण/ आलेखन के लिए पुरस्कार राशि / Prize Amount for noting/drafting in Hindi

(कम से कम10,000 शब्द या उससे अधिक शब्द) (minimum 10,000 words or more)

1. प्रथम पुरस्कार (02 पुरस्कार) : प्रत्येक 5000/- रूपये
   First prize (02 prizes) : Rs.5000/- each

2. द्वितीय पुरस्कार (03 पुरस्कार) Second prize (03 prizes)	: :	प्रत्येक 3000/- रूपये Rs.3000/- each
3. तृतीय पुरस्कार (05 पुरस्कार) Third prize (05 prizes)	: :	प्रत्येक 2000/- रूपये Rs.2000/- each

अधिकारियों द्वारा हिंदी में डिक्टेशन देन के लिए/ For Hindi dictation given by the Officer :

1. प्रथम पुरस्कार (01 पुरस्कार) First prize (01 prize)	:	प्रत्येक 5000/- रूपये Rs. 5000/- each

भवदीय/ Yours faithfully

संलग्नक : दोनों प्रोफार्मा की प्रति
Encl : Copy of both the proforma

(सुनील कुमार विभूते/ Sunil Kumar Vibhute)
सहायक निदेशक (राजभाषा)(प्रभारी)
Assistant Director (OL)(I/c)
कार्या.प्र.मु.आ.आ., हैदराबाद
O/o the Pr.CCIT, Hyderabad

आयकर निदेशालय (परीक्षा एवं राजभाषा)
Directorate of Income Tax (Exam & Official language)
वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग/ Ministry of Finance, Department of Revenue
पांचवी मंजिल, मयूर भवन, कनॉट सर्कस/ 5th Floor, Mayur Bhawan, Connaught Circus,
नई दिल्ली/ New Delhi

फा.सं.109/राजभाषा/2023-24/2535-89 दिनांक : 08.12.2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सरकारी कामकाज (टिप्पण/आलेखन) मूल रूप से हिंदी में करने तथा अधिकारियों द्वारा हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार योजना - वर्ष 2023-24

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के दिनांक 23.05.2023 के पत्र फा.सं. ई.12016/1/2022-हिंदी-4-डीओआर एवं गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसरण में वित्त वर्ष- 2023-24 के लिए निम्नलिखित योजनाएं आयकर निदेशालय (परीक्षा एवं राजभाषा), नई दिल्ली में लागू की जा रही हैं।

1. हिंदी टिप्पण आलेखन योजना
2. अधिकारियों द्वारा हिंदी में डिक्टेशन देने संबंधी योजना

I.हिंदी टिप्पण आलेखन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित नकद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगें :-

1. पहला पुरस्कार (2 पुरस्कार) : प्रत्येक 5000/- रु.
2. दूसरा पुरस्कार (3 पुरस्कार) : प्रत्येक 3000/- रु.
3. तीसरा पुरस्कार (5 पुरस्कार) : प्रत्येक 2000/- रु.

II. अधिकारियों द्वारा हिंदी में डिक्टेशन देने हेतुनिम्नलिखित नकद पुरसकार प्रदान किया जाएगा :-

1. पहला पुरस्कार (1 पुरस्कार) : 5000/- रु.

उपर्युक्त सरकारी कामकाज (टिप्पण/आलेखन) मूल रूप से हिंदी मे करने तथा अधिकारियों द्वारा हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के लिए अपने कार्य का विवरण संलग्न निर्धारित प्रपत्र में भरकर तैयार रखें और इसे अपने उच्च अधिकारी से सत्यापित करवाकर तथा अपने काम के पांच नमूनों की प्रतियों सहित इस प्रभाग को दिनांक 15.04.2024 तक भिजवाना सुनिश्चित करें।

साथ ही केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सभी संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों से अनुरोध है कि वे भी अपने कार्यालयों में स्वतंत्र रूप से उक्त नकद पुरस्कार योजनाएं लागू करें।

संलग्नक : यथोपरि।

08/12/2023
(अरविन्द कुमार)
सहायक निदेशक (रा.भा.) (मुख्या. कार्या.)

प्रतिलिपि :

1. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सभी संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
2. अपर महानिदेशक (परीक्षा एवं राजभाषा), नई दिल्ली को उनके निजी सचिव के माध्यम से सूचनार्थ।
3. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, आयकर निदेशालय (परीक्षा एवं राजभाषा) नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे निदेशालय के सभी अनुभागों/अधिकारियों/कर्मचारियों में परिचालित करवाना सुनिश्चित करवाएं।
4. नोटिस बोर्ड।

08/12/2023
सहायक निदेशक (रा.भा.) (मुख्या. कार्या.)

आयकर निदेशालय
परीक्षा एवं राजभाषा
08 DEC 2023
डायरी नं०.........

4

अनु अधि
21/5/23

फा. सं. ई.12016/1/2022-हिन्दी-4-डीओआर

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

...tt. of Revenue
...& Dispatch Section)
...2023

नई दिल्ली, दिनांक 23 मई, 2023

...: सरकारी कामकाज (टिप्पण/आलेखन) मूल रुप से हिन्दी में करने तथा अधिकारियों द्वारा हिन्दी में डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार योजना - वर्ष 2023-24

राजस्व विभाग में सरकारी कामकाज (टिप्पण/आलेखन) मूल रुप से हिन्दी में करने तथा ...कारियों द्वारा हिन्दी में डिक्टेशन देने के लिए राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार वर्ष ...3-24 के लिए नकद प्रोत्साहन पुरस्कार योजना आरम्भ की जा रही है । इसकी अवधि 01.04.2023 ...1.03.2024 तक होगी । इस योजना के लिए पुरस्कार राशि निम्नानुसार होगी:-

हिन्दी में टिप्पण/आलेखन के लिए पुरस्कार राशि:

1.	पहला पुरस्कार (2 पुरस्कार)	प्रत्येक 5000/- रुपये
2.	दूसरा पुरस्कार (3 पुरस्कार)	प्रत्येक 3000/- रुपये
3.	तीसरा पुरस्कार (5 पुरस्कार)	प्रत्येक 2000/- रुपये

अधिकारियों द्वारा हिन्दी में डिक्टेशन देने के लिए:

1.	पहला पुरस्कार (1 पुरस्कार)	5000/- रुपये

इस योजना में भाग लेने के इच्छुक अधिकारी/कर्मचारी मूल टिप्पण व आलेखन के साथ-साथ ...न्दी में किए गए अन्य कार्य जैसे रजिस्टर में इन्दराज, सूची तैयार करना, लेखा कार्य आदि जिसका ...त्यापन किया जा सके, उसका दैनिक विवरण राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए प्रपत्र में भरकर ...पने उच्चाधिकारी से प्रमाणित करवा कर और नमूने के पांच प्रारूपों सहित दिनांक 15 अप्रैल, 2024 ...क हिन्दी-4 अनुभाग को भेज दें।

इसी प्रकार वर्ष 2022-23 के लिए इस विभाग में लागू उक्त योजना के अंतर्गत पुरस्कार हेतु ...वे भी निर्धारित प्रपत्र में कृपया 30 मई, 2023 तक अवश्य हिंदी-4 अनुभाग को प्रेषित करें।

...से संयुक्त सचिव (राजस्व) महोदय के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

...संलग्न: योजना का विवरण एवं प्रपत्र

प्रीति सेलारे

(प्रीति सेलारे)
सहायक निदेशक (रा. भा.)
दूरभाष: 23095393

विषय : सरकारी कामकाज मूल रूप से हिन्दी में करने के लिए राजभाषा विभाग की प्रोत्साहन योजना का विवरण।

1. योजना का क्षेत्र:

केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय अपने अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए स्वतंत्र रूप से इस योजना को लागू कर सकते हैं।

2. पात्रता:

(क) सभी श्रेणियों के वे अधिकारी/कर्मचारी इस योजना में भाग ले सकते हैं जो सरकारी काम पूर्णत: या कुछ हद तक मूल रूप से हिन्दी में करते हैं।

(ख) केवल वही अधिकारी/कर्मचारी पुरस्कार के पात्र होंगे जो 'क' तथा 'ख' क्षेत्र अर्थात बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र तथा चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में वर्ष में कम से कम 20 हजार शब्द तथा 'ग' क्षेत्र में (जिसमें 'क' व 'ख' क्षेत्र के अलावा बाकी सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं) वर्ष में कम से कम 10 हजार शब्द हिन्दी में लिखें। इसमें मूल टिप्पण व प्रारूप के अलावा हिन्दी में किए गए अन्य कार्य जिनका सत्यापन किया जा सके जैसे रजिस्टर में इन्दराज, सूची तैयार करना, लेखा का काम आदि भी शामिल किए जाएंगे।

(ग) आशुलिपिक/टाइपिस्ट, जो सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने संबंधी किसी अन्य योजना के अंतर्गत आते है, इस योजना में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

(घ) हिन्दी अधिकारी और हिन्दी अनुवादक, जो सामान्यत: अपना काम हिन्दी में करते हैं, वे इस योजना में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

3. पुरस्कार:

भाग लेने वाले कर्मचारियों को प्रतिवर्ष उनके द्वारा हिन्दी में किए गए काम के आधार पर निम्नलिखित नकद पुरस्कार दिए जाएंगें :-

केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/सम्बद्ध कार्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालय एवं केंद्रीय सरकार के किसी भी विभाग के अधीनस्थ कार्यालय के लिए स्वतंत्र रूप से:-

1. पहला पुरस्कार (2 पुरस्कार)	: प्रत्येक 5000/- रुपए
2. दूसरा पुरस्कार (3 पुरस्कार)	: प्रत्येक 3000/- रुपए
3. तीसरा पुरस्कार (5 पुरस्कार)	: प्रत्येक 2000/- रुपए

(कृपया नोट करें कि अब उक्त प्रोत्साहन राशि केंद्र सरकार के समस्त मंत्रालयों/विभागों/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/स्वायत्त निकायों आदि कार्यालयों में एक समान रूप से लागू होगी।)

4. योजना के प्रयोजन के लिए प्रत्येक अलग भौगोलिक स्थिति वाले कार्यालय को स्वतंत्र एकक माना जाएगा । उदाहरणार्थ अलग क्षेत्र में स्थित आयकर आयुक्त के अधीन सहायक आयकर आयुक्त आदि को कोई कार्यालय अथवा रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक के अधीन क्षेत्रीय अधीक्षक आदि का कार्यालय इस योजना को चलाने के लिए एक स्वतंत्र एकक माना जाएगा ।

5. पुरस्कार देने के लिए मापदण्ड :

(क) मूल्यांकन करने के लिए कुल 100 अंक रखे जाएंगें । इसमें से 70 अंक हिन्दी में किए गए काम की मात्रा के लिए रखे जाएंगें और 30 अंक विचारों की स्पष्टता के लिए होंगे।

(ख) जिन प्रतियोगियों की मातृभाषा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, उड़िया या असमिया हो, उन्हें 20 प्रतिशत तक अतिरिक्त अंकों का लाभ दिया जाएगा । ऐसे कर्मचारी को दिए जाने वाले वास्तविक अंकों के लाभ का निर्धारण मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा । ऐसा करते समय समिति उन अधिकारियों/कर्मचारियों के काम के स्तर को भी ध्यान में रखेगी जो अन्यथा उससे क्रम में ऊपर हैं ।

(ग) प्रतियोगी प्रतिदिन संलग्न प्रपत्र में अपने हिन्दी में लिखे गए शब्दों का लेखा-जोखा रखेंगे । प्रत्येक सप्ताह के लेखे-जोखे पर अगले उच्च अधिकारी द्वारा सत्यापन करने के बाद प्रति- हस्ताक्षर किए जाएंगें । यदि अनुभाग का अधिकारी स्वयं लेखा जोखा रखता है तो कर्मचारी को लेखा-जोखा रखना आवश्यक नहीं होगा ।

(घ) एक वर्ष के अंत में प्रत्येक प्रतियोगी हिन्दी में किए गए अपने काम का लेखा-जोखा प्रति- हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी के माध्यम से मूल्यांकन समिति को प्रस्तुत करेगा। यदि प्रति-हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी या विभाग प्रमुख स्वयं पूर्णतया निगरानी रखता है और लेखा-जोखा रखता है तो इसकी आवश्यकता नहीं होगी और उसे ब्यौरा देना होगा ।

(ङ) मूल्यांकन समिति:

मंत्रालयों/विभागों में हिन्दी प्रभारी, संयुक्त सचिव, उप निदेशक(राजभाषा) और निदेशक(राजभाषा) इस समिति के सदस्य हो सकते हैं । संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में विभाग/कार्यालय के अध्यक्ष, हिन्दी अधिकारी और एक अन्य राजपत्रित अधिकारी या राजभाषा अधिकारी इसके सदस्य हो सकते हैं । तथापि विभिन्न संबंधित कार्यालयों में अधिकारियों की उपलब्धता के अनुसार समिति के गठन में परिवर्तन किया जा सकता है ।

6. पुरस्कार जीतने के बारे में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की सेवा विवरणी में भी समुचित उल्लेख कर दिया जाएगा ।

****

हिन्दी में मूल टिप्पण एवं मसौदा आलेखन योजना हेतु प्रपत्र

श्री/श्रीमती/कुमारी ------------------------------- की --------------- को समाप्त होने वाले सप्ताह में हिन्दी के मूल काम की साप्ताहिक विवरणी :-

नाम	तिथि	कुल फाईलों/रजिस्टरों आदि की संख्या जिन में हिन्दी में काम किया गया	हिन्दी में लिखे गये टिप्पण और आलेखन के शब्दों की संख्या	हिन्दी में दिए गए और काम का संक्षिप्त ब्यौरा	शब्दों की संख्या	उच्च अधिकारी के हस्ताक्षर (सप्ताह में एक बार)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

हिन्दी में डिक्टेशन देने की योजना हेतु प्रपत्र

क्रम सं0	फा0 सं0	दिनांक	विषय	हिन्दी में दी गई डिक्टेशन के शब्दों की संख्या	अधिकारी के हस्ताक्षर
1.	2.	3.	4.	5.	6.